

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 17/2015

संस्थित दिनांक-06.08.2008

फाईलिंग नंबर-230303001582008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. योगेशसिंह उर्फ योगेन्द्रसिंह जादौन पुत्र
बृजराजसिंह जादौन उम्र 28 साल
निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर म0प्र0
2. सुनील उर्फ रंजीत पुत्र राकेश बाबा यादव
उम्र 29 साल निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर म0प्र0
3. बंटी उर्फ लवली पुत्र मूलचंद बाथम
उम्र 35 साल निवासी बिल्हाटी थाना बिजौली
4. रवि जाटव उर्फ बंटी पुत्र नंदकिशोर उर्फ नंदराम
उम्र 29 साल निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर
म0प्र0
5. अनिल प्रजापति पुत्र हरीप्रसाद उम्र 29 साल
निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर म0प्र0

-----उपस्थित अभियुक्तगण

3. अजय उर्फ सुरेन्द्र पुत्र दर्शनलाल राठौर
उम्र 31 साल निवासी तिवारी मुहल्ला
पुरानी छावनी थाना पुरानी छावनी
ग्वालियर म0प्र0

-----फरार अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 16 दिसंबर 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण बंटी उर्फ लवली, रवि उर्फ बंटी एवं सुनील उर्फ रंजीत,
योगेश जादौन एवं अनिल प्रजापति के के विरुद्ध धारा 395, 323 भा0द0वि0

सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.10.07 को दिन के लगभग 03.30 बजे म0प्र0डकैती एवं व्य0प्र0क्षे0 अधि0 की धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राजस्व जिला भिण्ड थाना गोहद क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर बिलारी लोक मार्ग पर पिपरसाना के समीप उन्होंने तथा पांच अन्य सह अपराधीगण रवि उर्फ बंटी पुत्र नंदराम, बंटी उर्फ लवली पुत्र मूलचन्द बाथम, योगेश जादौन, अजय और रंजीत योग छह व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से अभियोगी महमूद से मोबाईल फोन और रुपये 150 एवं सूरज के आधिपत्य से नोकिया मोबाईल फोन और ममता शर्मा के आधिपत्य से नोकिया मोबाईल फोन और नगदी रुपये 500 की डकैती की और डकैती के उक्त अपराध के अनुक्रम में महमूद खान को स्वेच्छया उपहति कारित की। एवं आरोपी योगेश जादौन व अनिल प्रजापति के विरुद्ध धारा-395 सहपठित 398 भा0द0वि0 के अंतर्गत यह भी आरोप है कि उन्होंने ममता शर्मा, महबूब और सूरज के आधिपत्य से मोबाईल फोन और नकद धन की डकैती का अपराध संयुक्तगण रवि उर्फ बंटी पुत्र नंदराम, बंटी उर्फ लवली पुत्र मूलचन्द बाथम, योगेश जादौन, अजय और रंजीत के साथ संयुक्त रूपसे करते समय वह आग्नेयास्त्र कट्टा से सज्जित थे।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 04.10.07 को दिन घटनास्थल ग्वालियर बिलारी लोकमार्ग पर पिपरसाना के समीप मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपी अजय उर्फ सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा-299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 04.10.07 को 3.30 बजे दिन में फरियादी मेहबूबखॉ अपनी मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0039 में ममता शर्मा का सामान किराये से सेवढा से भरकर ग्वालियर जा रहा था। सके साथ सूरजसिंह, ममता शर्मा, अशोक दुबे भी बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी ग्वालियर विलारी रोड पर पिपरसाना के आगे पहुंची तो आम सड़क पर सुनील, योगेशसिंह, बंटी यादव, अनिल प्रजापति दो मोटरसाईकिलों के साथ मिले व चारों ने उनकी गाड़ी रोक ली। बंटी यादव ने उसके सिर व हाथ पर टायर लीवर मारकर चोटें पहुंचाई तथा उसका एक मोबाईल क्लासिक व 150/-रुपये जबरन छीन लिये। अनिल जो हाथ में कट्टा लिये था, उसने ममता शर्मा को जबरन कट्टा दिखाकर एक मोबाईल नोकिया 1600 एवं 500/-रुपये नगदी जबरन छीन लिये। सूरज व अशोक दुबे ने रोका तो योगेश जो कट्टा तथा सुनील जो हाथ में डण्डा लिये था, मारपीट करने पर आमादा हो गये और मारपीट कर जबरन सूरज का एक मोबाईल नोकिया छीन लिया। इन सभी ने मिलकर उन लोगों की लूटमार की। बाद में अजय व बंटी आनंदनगर ग्वालियर के आ गये। इन्होंने भी कहा लूट लो और गाड़ी में चढ़कर धमकाया और सभी बदमाश दोनों मोटरसाईकिलों पर बैठकर भाग गये।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मौ को करने पर अप0क्र0-0/07

पर धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा असल अपराध थाना गोहद क्षेत्रान्तर्गत का होने से थाना गोहद असल कायमी अग्रिम विवेचना हेतु भेजी तथा थाना गोहद द्वारा अप0क्र0-168/07 पर धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन आदि की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध 395, 323 भा0द0वि0 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.10.07 को दिन के लगभग 03.30 बजे म0प्र0डकैती एवं व्य0प्र0क्षे0 अधि0 की धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राजस्व जिला भिण्ड थाना गोहद क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर बिलारी लोक मार्ग पर पिपरसाना के समीप उन्होंने तथा पांच अन्य सह अपराधीगण रवि उर्फ बंटी पुत्र नंदराम, बंटी उर्फ लवली पुत्र मूलचन्द बाथम, योगेश जादौन, अजय और रंजीत योग छह व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से अभियोगी मेहबूब से मोबाईल फोन और रुपये 150 की लूट की?
2. क्या आरोपीगण ने उसी ससंगत दिनांक स्थान व समय पर ही सूरज के आधिपत्य से नोकिया मोबाईल फोन की भी लूट की?
3. क्या आरोपीगण ने उसी सुसंगत दिनांक स्थान व समय पर ही ममता शर्मा के आधिपत्य से नोकिया मोबाईल फोन और नगदी रुपये 500 की भी लूट की ?
4. क्या आरोपीगण ने उसी सुसंगत दिनांक स्थान व समय पर ही अभियोगी मेहबूब की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

-::निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1, 2, 3 एवं 4 का निराकरण

7. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. अभियोजन कथानक मुताबिक घटना के फरियादी मेहबूब के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई है। घटना में मेहबूब के अलावा

सूरज यादव, और ममता शर्मा पीड़ित पक्षकार हैं तथा अशोक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्षी प्रकरण के लिये सर्वाधिक महत्व के साक्षी हो जाते हैं इसलिये उनकी अभिसाक्ष्य का सर्वप्रथम मूल्यांकन करना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है।

9. मेहबूबखॉ अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि घटना वाले दिन मिनिट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0039 से वह सेवढा से ग्वालियर ट्रक में माल ले जा रहा था और जिस व्यक्ति का माल ले जा रहा था वह और उसकी महिला तथा सूरज साथ में बैठे थे। जाते समय रास्ते में चितौरा के पास से जब वह गुजर रहे थे तब दिन के करीब दो डेढ़ बजे का समय था। 5-6 लड़के आये थे। उन्होंने उससे मोबाईल व डेढ़ सौ रुपये छीन लिये थे। उसके साथ खल्लासी सूरज से भी बदमाशों ने मोबाईल छीन लिया था तथा खींचातानी में उसे चोटें भी आई थीं और उसका शासकीय अस्पताल मौ में इलाज हुआ था। बदमाश उसके पूर्व परिचित नहीं थे। उसने उसी दिन थाना मौ में प्र0पी0-1 की रिपोर्ट की थी जिसके क से क भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं और यह कहा है कि बदमाशों को घटना के तुरंत बाद दिखाया जाता तो वह उन्हें पहचान लेता। लेकिन कथन दिनांक 05 जनवरी-2010 को उसने यह बताया है कि अब काफी समय हो गया है इसलिये अब वह नहीं पहचान सकता है। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि पुलिस मौ ने आरोपियों को पकड़ने की बात उसे बताई थी और उनमें से एक को उसने थाने पर देखा था। लेकिन उक्त साक्षी ने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर लूट की घटना के बारे में जो विवरण प्र0पी0-1 में लिखाया है वह सही लिखा होना तो कहा है किन्तु लूट करने वालों के नाम के बारे में उसने यह बताया है कि वह लूट करने वालों के नाम न तो जानता था न ही उसने पुलिस को लिखाये थे। पुलिस वालों ने ही उसे घटना के बारे में बताया था और उनके ही नाम लिख लिये थे। इस आधार पर अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी भी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें उसने यह तो बताया है कि उसका जो मोबाईल लूटा गया था वह क्लासिक कंपनी का था जिसे वह पहचान सकता है। लेकिन उसने रिपोर्ट करने वाले लड़कों में आरोपीगण सुनील, योगेश, बंटी, अनिल और अजय पूर्व परिचित होने, उनके नाम एफ0आई0आर0 में स्वयं लिखाने से स्पष्ट तौर पर इन्कार करते हुए प्र0पी0-3 के पुलिस कथन के क लगायत ग भागों का विवरण भी लिखाने से इन्कार किया जिनमें आरोपीगण के नाम आरोपीगण कृत्य पूर्णतः एफ0आई0आर0 अनुसार बताया गया है। साक्षी ने आरोपीगण से किसी प्रकार का डर होने से भी इन्कार किया है।

10. इस प्रकार से अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि अवश्य होती है कि वह ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0039 का चालक रहा है। जो माल वाहक वाहन था और उससे वह सेवढा से ग्वालियर के लिये किसी व्यक्ति का सामान ले जा रहा था तब उसके साथ रास्ते में लूटपाट की घटना हुई जिसमें उसे उपहति भी कारित की गई थी और उसके साथ सूरज तथा जिस व्यक्ति का माल ले जा रहा था वह और उसकी पत्नी का भी साथ में होना स्पष्ट होता है किन्तु लूट की घटना प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में उल्लेखित आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई, इस बारे में उक्त साक्षी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं करता है। उसने घटना की समयावधि भी बताने

में असमर्थता व्यक्त की है। वह अशिक्षित है, ऐसी स्थिति में सूरजसिंह यादव, अशोक और ममता के अभिसाक्ष्य पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो जाता है।

11. मेहबूबखॉ अ0सा0-1 ने अपने गाड़ी पर सूरज को खल्लासी बताया है जो अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया है कि वह मेहबूब के साथ ट्रक पर खल्लासी का काम करता था। संभवतः खल्लासी से उसका आशय हैल्पर से है। अ0सा0-2 ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह घरेलू सामान लादकर सेवढा से ग्वालियर ले जा रहा था। उनके साथ ट्रक में सामान वाला व्यक्ति और उसकी पत्नी भी बैठे थे। तब पिपरसाना के पास रास्ते में छः बदमाशों ने उनके ट्रक को रोका था। दो तीन बदमाश पिस्तौल लिये थे। उन्होंने उसका मोबाईल फोन नोकिया 1108 छीन लिया था। मेहबूब का क्लासिक मोबाईल और रुपये छीने थे। ट्रक में जो महिला बैठी थी उसका मोबाईल, अंगूठी और रुपये भी छीन लिये थे। उस समय दोपहर का समय था। घटना के बाद लौटकर मौ० थाने में जाकर मेहबूब ने रिपोर्ट लिखाई थी। मेहबूब को चोटें भी आई थीं। इस साक्षी ने भी दिनांक 05 जनवरी-2010 को अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि जिन लोगों ने लूट की थी उन्हें वह पहचान तो सकता है किन्तु निश्चित तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि काफी समय हो गया है और वह अपने मोबाईल को भी पहचान सकता है। इस आधार पर साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया था जो पुनः दिनांक 09.12.15 को परीक्षित हुआ है तब उसने यह बताया है कि घटना के समय लूट करने वालों को उसने पहचान लिया था लेकिन 8-9 साल का समय हो जाने से वह नहीं पहचान पायेगा। इसलिये वह हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं पहचान सकता है।

12. अ0सा0-2 सूरजयादव ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-7 में अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में यह कहा है कि दिनांक 04.07.10 को वह गाड़ी क्रमांक-एम0पी0-30जी-0039 टाटा 407 पर क्लीनर था। मेहबूबखॉ ड्रायवर था और उक्त दिनांक को वे घर का सामान ले जा रहे थे। उसकी महिला व उसका भाई भी साथ में थे। जैसे ही वे पिपरसाना से निकले थे तब दो मोटरसाईकिलों पर कुछ लोग आये थे और उन्होंने लूट की घटना की थी जिसमें उसका मोबाईल फोन लूटा गया था। लूट के संबंध में पुलिस ने उसका बयान भी लिया था। लुटेरों ने चालक को पकड़कर कटटा अड़ा दिया था। और टायर लीवर के सरिया से चालक की मारपीट की थी। पुलिस मेहबूब को अस्पताल ले गयी थी। वह गाड़ी पर ही रहा था। लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि बाद में लूट करने वाले बदमाशों का पता चला था और उनके नाम योगेश, बंटी, सुनील, अनिल व अजय एवं एक और बंटी होना बताये गये थे।

13. इस तरह से उक्त साक्षी भी अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 04.07.10 का सेवढा से ग्वालियर जाते समय रास्ते में पिपरसाना के समीप लूट की घटना होना और उसमें मोबाईल रुपये आदि लूटे जाना, ड्रायवर की मारपीट होना तो बताता है किन्तु उनके साथ किन लोगों ने घटना कारित की, उसके बारे में वह अभियोजन का समर्थन नहीं करता है और सुझाव दिये जाने पर भी आरोपीगण के नाम पुलिस को बाद में पता चलने के आधार पर बताये जाने से भी इन्कार करता है। इस तरह से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से भी केवल लूट की घटना ही कारित होना प्रमाणित होती है लेकिन आरोपीगण के द्वारा कारित की गई, यह संदिग्ध हो

जाता है और प्रकरण में कथानक मुताबिक आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट मेहबूबखों की ओर से लिखाई गई थी जिसमें इस आशय का विवरण दिया गया था कि जिससे लूट करने वाले आरोपियों को वह पहले से जानता था किन्तु पहले से जानने की पुष्टि मेहबूबखों अ0सा0-1 भी नहीं करता है न ही सूरज यादव अ0सा0-2 ने की है। इसलिये उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध अभिलेख पर नहीं आये हैं।

14. अशोक अ0सा0-5 के मुताबिक वह 6-7 साल पूर्व सेवड़ा से ग्वालियर मेटाडोर में सामान भरकर ले जा रहे थे। मेटाडोर भगवानदास सिंधी की थी जिसने कोई मुसलमान चलाता था। वाहन पर कोई क्लीनर नहीं था और उसने भी आरोपीगण को पहचानने से इन्कार करते हुए घटना शाम के करीब छः बजे की बताई है। जब रास्ते में अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी मेटाडोर की लूट की गई थी और उसकी जेब में से 45 रुपये मिले थे और गाड़ी लूटने के बाद बदमाशों ने दूसरी गाड़ी भी लूटी थी जिसके बारे में उसने कथन भी दिया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह तो बताया है कि जब मेटाडोर में सामान लेकर जा रहे थे तब गाड़ी में उसके साथ उसकी बुआ की लड़की ममता शर्मा भी थी। ममता ने ही गाड़ी की थी। उसका यह भी कहना है कि बदमाश दो मोटरसाईकिलों पर आये थे लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक बदमाश ने उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया था। एक बदमाश ने चालक के सिर में कोई चीज से चोटें पहुंचाई थीं। उसे यह भी पता नहीं है कि तीन बदमाशों ने कट्टे निकाल लिये थे और चालक का मोबाईल डेढ़ सौ रुपये तथा उसकी बहन ममता की सोने की अंगूठी और मोबाईल भी लूटे थे। इस तरह से उक्त साक्षी अभियोजन का किसी भी बिन्दु पर समर्थन नहीं करता है और वह घटना से इन्कार करता है। पुलिस को प्र0पी0-16 का कथन देने से भी इन्कार करता है। जबकि उक्त साक्षी को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी और घटना का पीड़ित पक्ष भी बताया गया है जिसने भी आरोपीगण के संबंध में कोई समर्थन नहीं किया है न ही प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में बताई गई घटना की पुष्टि की है।

15. ममता शर्मा अ0सा0-9 के मुताबिक भी सेवड़ा से वह अपनी बुआ के लड़के अशोक के साथ मेटाडोर में सामान लेकर बैठकर आ रही थी तब रास्ते में एक गांव के पास चार लड़कों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी और कट्टा अड़ाकर मोबाईल छीन लिये थे तथा उसकी अंगूठी भी छीन ली थी। गाड़ी में नुकसान भी किया था। घटना के संबंध में गाड़ी के चालक ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था। लेकिन घटना करने वालों को वह नहीं पहचान सकता है। उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को देखने के बाद भी उन्हें पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। उक्त साक्षिया को पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में यह तो कहा है कि बदमाश दो मोटरसाईकिलों से आये थे और दो बदमाशों ने गाड़ी के चालक को पकड़कर टायर लीवर के सरिया से चालक की मारपीट की थी। व क्लीनर को खींचकर कट्टा अड़ाकर उसका भी मोबाईल लूटा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बुआ के लड़के अशोक का मोबाईल और रुपये लूट लिये थे और लूट करने के बाद चारों बदमाश मोटरसाईकिलों पर बैठकर भाग गये थे।

16. उक्त साक्षी ने पैरा-3 में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने जब उसका बयान लिया था तब उसने लूट करने वाले बदमाशों के बाबत पता चलने और उनके नाम मुकेश, बंटी, सुनील, अनिल, अजय व बंटी होना बताये थे। हो सकता है कि उनलोगों ने लूट की हो लेकिन वह ठीक से नहीं बता सकता है क्योंकि घटना क्षणिक हुई थी और पुरानी भी हो गयी है। किन्तु उक्त अभिसाक्ष्य से भिन्न प्रति परीक्षण के पैरा-4 में उसने अपने अभिसाक्ष्य को परिवर्तित करते हुए यह कहा है कि आरोपियों के नाम उसे मेटाडोर चालक ने बताये थे और उसे यह जानकारी नहीं है कि मेटाडोर चालक को लूट करने वालों के नाम कहाँ से और कैसे पता चले थे। स्वतः में उसने यह भी कहा है कि हो सकता है कि चालक आरोपियों को पहले से जानता था। उसने यह भी कहा है कि घटना के समय बदमाश मुंह बांधे हुए थे। केवल आंखें दिख रही थीं। उसने प्र0डी0-1 के पुलिस कथन में आरोपियों के नाम चालक द्वारा बताये जाने के आधार पर लिखाना कहा है। अशोक द्वारा बताये जाने से वह इन्कार करती है। जबकि प्र0डी0-1 के पुलिस कथन में यह उल्लेखित है कि आरोपियों के नाम पते उसे बाद में पता चले थे और उसकी बुआ के लड़के अशोक ने उसे बताये थे। जबकि इससंबंध में अशोक का कोई समर्थन नहीं है।
17. अशोक अ0सा0-5 ने स्वयं किसी आरोपी को नहीं पहचाना है न ही उसके द्वारा नाम बताये जाने की कोई पुष्टि हुई है। मेहबूबखॉ मेटाडोर का चालक निर्विवादित रूप से अभिलेख पर साक्ष्य में आया है उसके द्वारा भी आरोपियों को न तो पहचाना गया है न ही पूर्व से परिचित होना कहा है न ही ममता शर्मा का नाम बताये जाना कहे गये हैं। इसलिये ममता अ0सा0-9 का यह अभिसाक्ष्य कि आरोपियों के नाम उसे बाद में चालक द्वारा पता चले या उसकी बुआ के लड़के से पता चले। इनमें से कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं होता है तथा न्यायालय में भी उसने पहचाना नहीं है। केवल एक संभावना व्यक्त की है और घटना वह क्षणिक बताती है। बदमाशों के मुंह बांधे हुए भी कहती है। अनुसंधान के दौरान उक्त पीड़ित व्यक्तियों में से किसी से भी धारा-9 साक्ष्य विधान के तहत कोई पहचान परेड आरोपियों की नहीं कराई गई है। इसलिये ममता अ0सा0-9 के विरोधाभाषी अभिसाक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। न ही उससे प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में वर्णित व्यक्ति को प्रमाणित माना जा सकता है।
18. इस प्रकार से घटना के चारों पीड़ित व्यक्ति अ0सा0-1, 2, 5 व 9 के अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध न आने से शेष अभियोजन साक्षियों की अभिसाक्ष्य का और अधिक सूक्ष्मता से विश्लेषण करना अपेक्षित हो जाता है। क्योंकि अनुसंधान में आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने, उनके द्वारा पूछताछ करने पर दी गई जानकारी के आधार पर मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये जाने और उनके आधारों पर जप्ती की कार्यवाही होना बताई गई है जिससे संबंधित साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित भी कराये गये हैं। इसलिये उनके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह भी देखना होगा कि क्या उससे अभियोजन का बताया गया घटनाक्रम युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है क्योंकि यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है इस संबंध में न्याय दृष्टांत **प्रहलाद विरुद्ध म0प्र0 राज्य आई0एल0आर0 2011 एम0पी0 पेज 489** में प्रतिपादित सिद्धान्त

अवलोकनीय है यह भी सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है उसे वह प्रमाणित करना चाहिए। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एमपी 0 ए0आई0आर0 1976 सुप्रीमकोर्ट पेज-975** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

19. अन्य परीक्षित साक्षियों में से प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करने वाले तत्कालीन उपनिरीक्षक आर0एस0 भदौरिया अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 04.10.07 को वह थाना मौ में ए0एस0आई0 के पद पर पदस्थ था। तब मेहबूब निवासी अंगद कॉलोनी सेवड़ा ने आकर आरोपीगण के विरुद्ध नामजद नगदी और मोबाईल आदि की लूट की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से उसने प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 अप0क0-0/07 धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 डकैती अधिनियम के तहत लेखबद्ध की थी और घटनास्थल थाना गोहद के क्षेत्रान्तर्गत होने से असल कायमी एफ0आई0आर0 थाना गोहद को भेजी थी लेकिन किस आरक्षक के माध्यम से भेजी थी, यह उसे न तो याद है न ही प्र0पी0-1 में उल्लेखित होना बताया गया है। जबकि मेहबूब अ0सा0-1 प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में आरोपीगण के नाम लिखाने से इन्कार करते हुए पुलिस द्वारा लिख लिये जाना बताता है। आरोपीगण का पूर्व परिचित होने से भी वह इन्कार करता है। ऐसे में प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 को अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके लिये मेहबूब अ0सा0-1 का समर्थन आवश्यक था जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है।

20. रवि गर्ग अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.10.07 को थाना प्रभारी गोहद के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए यह कहा है कि उसके द्वारा अप0क0-168/07 की विवेचना में घटनास्थल पर जाकर फरियादी मेहबूब अ0सा0-1 की निशादेही पर प्र0पी0-2 का नक्शामौका बनाया था और उसी दिन फरियादी मेहबूब अ0सा0-1 एवं साक्षी अशोक, सूरजसिंह यादव और ममता के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इस बात से इन्कार किया है कि उसने एफ0आई0आर0 की तार्इद करते हुए साक्षियों के कथन लिख लिये। मेहबूब अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-2 के नक्शामौका बाबत भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। वह प्र0पी0-2 के नक्शामौका पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार करता है किन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस घटनास्थल पर उसके साथ गयी थी और उसी समय नक्शामौका तैयार किया गया था। इस तरह से अ0सा0-8 की कार्यवाही का भी संबंधित साक्षियों ने कोई समर्थन नहीं किया है। क्योंकि मेहबूबखॉ अ0सा0-1, सूरजसिंह यादव अ0सा0-2, ममता अ0सा0-9 के जो पुलिस कथन लेखबद्ध किये जाना अ0सा0-8 के द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा कोई भी समर्थन नहीं किया गया है न ही नक्शामौका की पुष्टि होती है और घटनास्थल के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि रिपोट्रकर्ता मेहबूब अ0सा0-1 चितौरा के पास की घटना बताता है, जबकि सूरजसिंह यादव अ0सा0-2 पिपरसाना के पास की घटना बताता है तथा ममता अ0सा0-9 किसी गांव के पास की घटना बताती है। उसे घटनास्थल का ज्ञान नहीं है और साक्षी अशोक अ0सा0-5 शाम के छः बजे की घटना बताता है। ऐसे में अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य से भी कोई दस्तावेज और कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

21. प्रीतम बघेल अ0सा0-3 और जसराम अ0सा0-4 प्र0पी0-4 लगायत 15 के दस्तावेजों के साक्षी हैं जिनके द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम कथन और मेमोरेण्डम कथनों में आई जानकारी के आधार पर उनसे वस्तुओं की जप्ती करना बताई गई है। प्र0पी0-4 लगायत 15 की संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 10.10.07 की बताई गई है और उसे उपनिरीक्षक नरेन्द्रपालसिंह अ0सा0-6 के द्वारा करना बताया गया है। किन्तु प्रीतम बघेल अ0सा0-3 और जसराम अ0सा0-4 जो कि प्र0पी0-4 लगायत 15 के दस्तावेजों के पंच साक्षी हैं उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में केवल उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर मात्र बताये हैं। किसी आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से, कोई पूछताछ किये जाने से, उनसे कोई वस्तु बरामद किये जाने की भी कोई पुष्टि नहीं करते हैं और प्र0पी0-4 लगायत 15 के संबंधित उक्त दोनों साक्षीगण पूर्णतः पक्ष विरोधी होकर अभियोजन का कतई समर्थन नहीं करते हैं और उनसे अभियोजन के मामले के प्रमाणन हेतु कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।
22. अब प्रकरण में केवल उपनिरीक्षक नरेन्द्रपालसिंह अ0सा0-6 का अभिसाक्ष्य और कराया गया है और यह देखना होगा कि क्या उसकी अभिसाक्ष्य मुताबिक प्र0पी0-4 लगायत 15 के दस्तावेज संदेह से परे प्रमाणित माने जा सकते हैं और क्या उससे लूट की जो घटना अ0सा0-1, 2, 5 व 9 के द्वारा बताई गई है उससे कड़ी के रूप में संबंध जुड़ता है या नहीं। यदि जुड़ता पाया जाता है तभी आरोपीगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है अन्यथा स्थिति में नहीं किया जा सकता है। इसलिये अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य जिसका कोई समर्थित साक्षी नहीं है, उसके अभिसाक्ष्य को प्रत्येक प्रकार के संदेहों से परे होना निर्धारित करना होगा क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि अन्य साक्षियों की भांति ही पुलिस साक्षी को भी मूल्यांकन में लिया जाना चाहिए और किसी भी पुलिस साक्षी पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस साक्षी है न ही ऐसी कोई न्यायिक परंपरा है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **गिरजाप्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 पेज-3106** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।
23. उपनिरीक्षक नरेन्द्रपालसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 10.10.07 को वह थाना गोहद पर प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को अप0क्र0-168/07 की उसने विवेचना की थी। जिसमें आरोपी सुनील उर्फ रंजीत यादव को प्र0पी0-4 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार किया जाना, पुलिस अभिरक्षा में लेकर की गई पूछताछ करने पर दी गई जानकारी के आधार पर प्र0पी0-5 का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना, तदुपरान्त दी गई जानकारी के आधार पर सुनील उर्फ रंजीत के आधिपत्य से नोकिया कंपनी का एक मोबाईल व 65 रुपये नगद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-6 बनाना बताया है। तत्पश्चात आरोपी बंटी उर्फ रवि जाटव को प्र0पी0-7 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा गिरफ्तार करना, उसका भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ कर प्र0पी0-8 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना और उसके आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सी0डी0-100 बिना नंबरों एवं 45 रुपये नगद प्र0पी0-9 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त करना, उसके बाद आरोपी अनिल को प्र0पी0-10 द्वारा गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ कर प्र0पी0-11 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना तथा उसकी

जानकारी के आधार पर आरोपी अनिल प्रजापति के आधिपत्य से एक नोकिया कंपनी का मोबाईल और 55 रुपये प्र0पी0-12 के जप्ती पत्रक द्वारा जप्त करना कहा है। तत्पश्चात आरोपी मुकेश को प्र0पी0-13 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ करने पर दी गई जानकारी का प्र0पी0-14 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना और उसके आधार पर योगेशसिंह के आधिपत्य से विक्टर टी0व्ही0एस0 मोटरसाईकिल एवं 60/-रुपये नगद जप्त करना कहा है। संपूर्ण कार्यवाही में उसने दो घण्टे का समय लगाना बताया है।

24. प्र0पी0-4 लगायत 15 के दस्तावेजों के मुताबिक विवेचक ने आरोपीगण की कार्यवाही शाम पांच बजे से लेकर छः बजे के बीच की होना बताया है जो कि यांत्रिक तरीके से किया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि आरोपीगण को चितौरा पिपरसाना रोड नहर की पुलिया से सभी को एकसाथ गिरफ्तार करना कहा है और वहीं उनसे पूछताछ करके मेमोरेण्डम कथन लेना और वहीं से सभी प्रकार की जप्ती करना बताई गई है किन्तु प्र0पी0-4 लगायत 55 की कार्यवाही के संबंध में वास्तव में अ0सा0-6 दिनांक 10.10.07 को गया था। इस संबंध में कोई रोजनामचासान्हा रवानगी वापिसी का प्रकरण में पेश नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था। उसके द्वारा जप्त बताये गये मोबाईल में किस कंपनी की कौन कौनसे नंबर की सिम थी, इसका भी उल्लेख नहीं है। जो रुपये जप्त किये गये उनमें नोटों के प्रकार क्या थे, यह भी स्पष्ट नहीं है और उक्त विवेचक ने यह स्वीकार किया है कि जो मेमोरेण्डम कथन है, उनकी हस्तलिपि जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रकों की हस्तलिपि से अलग है लेकिन मेमोरेण्डम उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये। जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही किसके द्वारा की गई और दस्तावेज लिखे गये, इस बारे में वह स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। ऐसे में अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-4 लगायत 15 के दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और न ही उससे लूट की जो घटना घटित होना पाई गई है, उससे कोई कड़ी जुड़ती है। इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। क्योंकि उनकी पहचान परेड कराई जानी चाहिए थी जो कि नहीं कराई गई है बल्कि नामजद रिपोर्ट लिखी गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध है।

25. अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने ही दिनांक 04.10.07 को दिन में करीब 3.30 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिसूचित रहते हुए ग्वालियर विल्हाटी लोक मार्ग पर पिपरसाना के समीप पांच या पांच से अधिक की संख्या में एकत्र होकर और संयुक्त रूप से मेहबूबखॉ, सूरज यादव, ममता शर्मा और अशोक के सेवड़ा से ग्वालियर मेटाडोर से सामान ले जाते समय रास्ते में रोककर उनके मोबाईल, रुपये, तथा ममता की सोने की अंगूठी आदि की लूट कारित की और मेहबूबखॉ को लूट के अनुक्रम में उपहति भी स्वेच्छ्या पहुंचाई। फलतः कोई भी आरोप प्रमाणित न होने से आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अतः आरोपीगण बंटी उर्फ लवली, रवि उर्फ बंटी, सुनील उर्फ रंजीत यादव को धारा-395 भा0द0वि0 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 तथा धारा-323 भा0द0वि0 के आरोपों से एवं आरोपीगण योगेश जादौन और अनिल प्रजापति को धारा-395 भा0द0वि0 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0

एक्ट 1981 एवं धारा-395 सहपठित धारा-398 और 323 भा0द0वि0 के सभी आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

26. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

27. प्रकरण में अभी एक आरोपी अजय उर्फ सुरेन्द्र फरार है अतः जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

28. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **16.12.2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)